न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 07/2025

राजेश कुमार सैनी पुत्र रामनाथ माली जाति माली निवासी दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा

......अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

... रेस्पों0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं० 838 दिनांक 13.3.2002 द्वारा विरासत द्वारा तस्दीक तहसीलदार दौसा

उपस्थित– 1. श्री मनोहर मुद्गल, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 25.6.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम दौसा कलां के पारित नामान्तरण सं0 838 दिनांक 13.3.2002 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार दौसा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट ने अब वर्तमान रिकार्ड की नकल हल्का पटवारी से ली तब अपीलांट को जानकारी हुई कि नामान्तरण में अपीलांट का नाम राजाबाबू अंकित है। उक्त नामान्तरण की नकल हेतु दिनांक 6.3.2025 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 7.3.2025 को प्राप्त हुई है।इसलिए अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है। अतः अपील पेश करने में हुए देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तरण आदेश की अपीलांट को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दौसा कलां में आराजी खसरा नंबर 953, 954, 955, 956, 957, 958 रकबा 0.93 है० स्थित है जिसकी खातेदारी साबिक में रामनाथ पुत्र सोन्या जाति माली के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। रामनाथ पुत्र सोन्या की मृत्यु होने के बाद पटवारी [illegible] विरासत का नामान्तरण संख्या 838 भरा गया जिसको, तहसीलद[illegible] 19.03.2002 को तस्दीक किया गया था। परन्तु उक्त नामान्तरण में अपीलान्ट [illegible] राजाबाबू पुत्र रामनाथ अंकित कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम राजेश कुमार सैनी है राजाबाबू अपीलान्ट के बचपन का लाड प्यार का नाम था। प्रार्थी के परिवारजन व अन्य वारिसान ने सहवन से अपीलान्ट का नाम राजाबाबु अंकित करवा दिया। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

राजेश कुमार सैनी है तथा राजाबाबु व राजेश कुमार दोनों ही एक ही नाम के व्यक्ति है इसलिए उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। जेर अपील नामान्तकरण संख्या 838 खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का वास्तविक नाम राजेश कुमार सैनी है तथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र व बैंक की पासबुक आदि में अपीलान्ट का नाम राजेश कुमार है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम राजेश कुमार सैनी है। राजाबाबु तो अपीलान्ट का लाड प्यार का बचपन का नाम था। अपीलान्ट के अन्य परिवारजन ने सहवन से लाड प्यार का नाम नामान्तरण में अंकित करवा दिया। जबकि राजाबाबु व राजेश कुमार दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है। उक्त गलती महज भूलवश हुई है तथा पटवारी हल्का ने भी नामान्तरण में अपीलान्ट का बचपन का नाम राजाबाबु अंकित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 838 को दुरूस्त किया जाकर अधिनस्थ तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट के वास्तविक नाम की जांच कर नामान्तकरण में राजाबाबु को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर राजेश कुमार अंकित कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करे तथा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका देने हेतु भी निर्देश देने की कृपा करे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पूर्व में ही नामान्तरण खोले जाने से पूर्व ही सही अंकन करवाना था। फिर भी यदि नामान्तरण अपीलांट के नाम ही हद तक दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता की एतकरफा बहस पर मनन किया गया।

7. अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं0 838 दिनांक 13.3.2002 को निरस्त करने एवं उसके स्थान पर अपीलांट का सही नाम राजेश कुमार सैनी (जो कि सहवन से राजाबाबू कर दिया गया है) करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण सं0 838 ग्राम कस्बा दौसा का पटवारी हल्का द्वारा रामनाथ पि. सोन्या जाति माली के फौत होने पर रामनाथ की विरासत में वारिसान के नाम बाबूलाल, रमेशचंद, सीताराम, राजाबाबू पि. रामनाथ, मु. रामप्यारी बेवा रामनाथ जाति माली के नाम नामान्तरण भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई है। तत्पश्चात दिनांक 13.3.2002 को तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलांट के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैक पास बुक, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, राशन कार्ड के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट का नाम राजेश कुमार सैनी पुत्र रामनाथ अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 838 वाके ग्राम कस्बा दौसा पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.3.2002 को अपीलांट के नाम (राजेश कुमार सैनी पुत्र रामनाथ सैनी) की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस [illegible] तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित [illegible] उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान [illegible] का अवसर प्रदान कर, उक्त विवादित खसरा नंबर में अन्य पक्षकरान को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य साक्ष्य जो अधीनस्थ न्यायालय को उचित लगे एकत्रित कर, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट दिनांक 11.7.2025 को न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार दौसा के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा अपना आदेश संभवतः 45 दिवस में पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 25 जून, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested